

क्रमांक: प.13(4)साप्र / 5 / 2020-00067

जयपुर, दिनांक:

परिपत्र

विषय:- राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों की SSO ID पर "ANUKAMPA" APP विकसित किया गया है। जिस हेतु समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की MAPPING की जा चुकी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण "ANUKAMPA" APP के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नीतू राजेश्वर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, मोटर गैराज विभाग।
2. उप शासन सचिव, सम्पदा विभाग।
3. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग।
4. निजी सहायक, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
6. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान/राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली/राजस्थान भवन, वाशी, नवीं मुम्बई।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7086383

Signature Not Verified

Digitally Signed by Neetu
Rajeshwar

Designation : Joint Secretary
Date : 09-05-2024 04:18:37